प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3457/2004

याचिकाकर्ता - नरेश कुमार पटेल, पिता स्वर्गीय भगत राम पटेल, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी—ग्राम रायघाटा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. भारत संघ, द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग, नई दिल्ली।

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

3. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।

4. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर मंडल (छ.ग.)।

5. जिला वन अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:-

श्री संकल्प जायसवाल, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता — राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से।

आदेश

(दिनांक 14 मार्च, 2007)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया :–

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय श्री भगत राम पटेल, वन रक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 05.04.1983 को सेवा में रहते हुए निधन हो गया।

2. याचिकाकर्ता ने वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 16.03.1999 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, कई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए गए। इस याचिका में याचिकाकर्ता अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस बनाम के.आर. विश्वनाथ के प्रकरण में, अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य पर विचार करते हुए निम्न प्रकार कहा है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"9."** जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी में कहा गया है, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर होता है कि संबंधित व्यक्ति मृत कर्मचारी पर आश्रित था। वस्तुतः ऐसा दावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरता। तथापि, ऐसे दावों को उचित एवं स्वीकार्य इस आधार पर माना जाता है कि राज्य की सेवा करते हुए कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके परिवार पर अचानक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण प्राधिकरणों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे नियम, विनियम अथवा प्रशासनिक आदेश बनाएँ, जो अनुच्छेद 14 एवं 16 की कसौटी पर खरे उतरें। अनुकंपा नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। 'कार्यकाल के दौरान निधन' योजना को सभी प्रकार के पदों पर, सेवा की प्रकृति की परवाह किए बिना, लागू नहीं किया जा सकता। एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम आशा रामचन्द्र अम्बेकर में यह स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक अधिकरण केवल सहानुभूति के

आधार पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकते, यदि संबंधित नियमों में उसका प्रावधान न हो। इसी प्रकार उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य में यह कहा गया कि सामान्यतः लोक सेवा में नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा एवं योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति कोई स्वतंत्र भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि यह केवल एक अपवाद है, जो उस स्थिति में लागू होता है जब सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसका परिवार जीविका के साधनों से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल उत्पन्न आर्थिक संकट से उबारना होता है, किन्तु यह नियुक्ति केवल नियमों, विनियमों अथवा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार तथा मृत कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही दी जा सकती है।

"10." सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ में यह कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के सभी दावों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से उत्पन्न कठिनाई को कम करना है। अतः ऐसी नियुक्ति यथाशीघ्र दी जानी चाहिए, ताकि संकटग्रस्त परिवार को राहत मिल सके। यह भी कहा गया कि यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय आश्रित अल्पवयस्क था, तो केवल इस आधार पर—जब तक कि योजना में विशेष प्रावधान न हो—यह नहीं कहा जा सकता कि वह बालिग होने पर किसी भी समय नियुक्ति का दावा कर सकता है। उक्त दृष्टिकोण को फूलवती बनाम भारत संघ तथा भारत संघ बनाम भगवान सिंह में भी दोहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाम पुष्पेन्द्र कुमार में यह अभिनिर्धारि किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में किसी विशेष पद की मांग पर जोर नहीं दिया जा सकता। यह व्यवस्था केवल मानवीय आधार पर की जाती है, ताकि मृत कर्मचारी के परिवार को जीविका का साधन मिल सके और वे जीवन-यापन कर सकें। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति, जो कि सामान्य नियम का एक अपवाद

है, अन्य योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप न करे। यह अपवाद मूल प्रावधान का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसे निष्प्रभावी कर सकता है।

4. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई नियमित भर्ती की विधि नहीं है, बल्कि यह केवल एक सुविधा है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिवार का तात्कालिक पुनर्वास करना है, ताकि मृत कर्मचारी के आश्रितों को दारिद्र्य से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को उबारना है, न कि रोजगार प्रदान करना। यह भी समान रूप से स्थापित है कि केवल कर्मचारी की मृत्यु मात्र से उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता, यदि परिवार अन्य आय के स्रोतों से अपना निर्वाह करने में सक्षम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम सजाद अहमद मीर[2] में अनुकंपा नियुक्ति के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए निम्न प्रकार अवलोकन किया :–

> **"11."** यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्ति सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुली होनी चाहिए, ताकि वे आवेदन कर सकें और आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। लोक सेवा में नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तभी विचलन किया जा सकता है, जब अत्यंत विशेष परिस्थितियाँ हों—जैसे परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और उसके कारण परिवार पर गंभीर संकट उत्पन्न होना। किन्तु यदि यह सिद्ध हो जाए कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार लंबे समय तक स्वयं को संभालने में सक्षम रहा है, तो सामान्य नियम को छोड़कर अपवाद के रूप में नियुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अन्यथा, यह अनेक अन्य पात्र व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करते हुए अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

(6) उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि मृत कर्मचारी के आश्रितों ने लगभग 23 वर्षों तक बिना किसी नियमित आय स्रोत एवं बिना किसी वित्तीय सहायता के स्वयं का निर्वाह किया है। ऐसी स्थिति में, अब अनुकंपा नियुक्ति जैसे अपवादात्मक माध्यम का सहारा लेना आवश्यक नहीं है, विशेषकर तब जब यह सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया (अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप) से हटकर अन्य पात्र अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित करता हो।

(7) उपर्युक्त कारणों से यह याचिका निराधार पाई जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**